

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 103

प्रकरण क्रमांक- M-PRO-2022-01968

आवेदक : मेसर्स सेलेब होम्स प्रा.लि., द्वारा-डायरेक्टर श्री अक्षय जैन, निवासी-डी-5, विला कैलिफोर्निया, अमलेश्वर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) विरुद्ध श्री निर्मल किशोर अग्रवाल, निवासी-"सेलिबिटी होम्स" हीरापुर, कबीर नगर के पास, जिला-रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट - "सेलिबिटी होम्स", हीरापुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
17/01/2024	<p>– प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>– आवेदक द्वारा प्रतिनिधि श्री सी.पी. वर्मा उपस्थित।</p> <p>– अनावेदक द्वारा अधिवक्ता श्री अनिर्बान दास गुप्ता उपस्थित।</p> <p>आवेदक द्वारा आवेदन पेश किया गया कि अनावेदक द्वारा मेंटनेंस का बकाया राशि का भुगतान किया जा चुका है। आपसी समझौता के अनुसार प्रकरण की कार्यवाही समाप्त करने निवेदन किया गया।</p> <p>प्रकरण आवेदक के निवेदन पर खारिज किया जाता है। प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जावे।</p> <p style="text-align: center;">सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p>	